केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग
मुनरिका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
18 NOV 2020
D. No.
Initials

CICOM/A/P/20/00097
CICOM/R/P/20/00378

अपीलकर्ता का नाम : श्री आनंद किशोर पाण्डा
लक्ष्मणनगर, गुमला
झारखंड। पिन–835 207

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	10.08.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	20.07.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	23.10.2020
5.	निर्णय की तिथि	

वाद का संक्षीप्त विवरण :-

1. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से दिनांक 27.07.2020 को प्रेषित अपने एक आवेदन, जो आयोग द्वारा निस्तारित प्रार्थी की शिकायत संख्या CIC/AD/C/2013/001825-SA दिनांक 21.10.2016 के संदर्भ में संबंधित सीपीआईओ द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने और इस संदर्भ में प्रार्थी को मुआवजा प्रदान करवाये जाने के संबंध में था, पर की गयी कार्रवाई की सूचना एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की थी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :-

2. प्रार्थी के उक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि प्रार्थी का प्रश्नगत पत्र संबंधित अपील संचिका में लिंक कर दिया गया है और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. अपने प्रथम अपील प्रपत्र में प्रार्थी ने प्रदान की गयी सूचना के विरूद्ध कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की है। उन्होंने केवल इतना उल्लेख किया है कि उनके द्वारा मांगी गयी सूचना आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से दिनांक 27.10.2020 के अपने एक

आवेदन पर की गयी कार्रवाई की मांग की है।, जिस संदर्भ में उन्हें यह सूचित किया गया है कि प्रश्नगत पत्र संबंधित संचिका में लिंक कर दिया गया है और उपलब्ध सूचना के अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह परिकल्पित प्रश्नों का जवाब दे अथवा सूचना की व्याख्या करे। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने रिकार्ड के आधार पर तथ्यात्मक सूचना प्रदान कर दी है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामलें में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक 17 नवम्बर, 2020

मीना शर्मा 17/11/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष: 26162290

प्रतिलिपि :-

1. **श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **श्री आर0 पी0 ग्रोवर, उप–रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।**

18/11/20

18/11/20